2012:CGHC:9921

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 1160 वर्ष 1997

अपीलार्थीगण लाला उर्फ कृष्ण कुमार व एक अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक /3.7.2012 को सूचीबद्ध करे I

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 1160 / 1997

अपीलार्थीगण लाला उर्फ कृष्ण कुमार व एक अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

श्री सुरेंद्र सिंह एवं श्री अनिल खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री सोम मिश्रा एवं श्री अंकित सिंघल, अधिवक्तागण अपीलार्थीगण के लिए।

श्री विवेक शर्मा, लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी/राज्य के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन

निर्णय

(13.7.2012)

यह अपील दिनांक 7.6.1997 को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 111/1996 में पारित निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (ग) एवं 342 के अधीन दोषी ठहराया गया था तथा प्रत्येक को धारा 376 (2) (ग) के अधीन दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 342 के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास, व्यतिक्रम की दशाओ ले साथ दंडित किया गया था।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 9.2.1993 को दोपहर 2.30 बजे अभियोक्त्री (अ.सा. -10) - जो लगभग 25 वर्ष की विवाहित महिला थी - द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि वह अपने पति शिवकुमार के साथ ग्राम डांगर में रहती थी और उस सुसंगत समय वह 4-5 माह के गर्भ से थी। दिनांक 8.2.1993 को वह त्रिवेणी, राजकुमारी, तारा और दिलचंद के साथ शिवरीनारायण मेला गई थी और बस से उतरने के बाद, नाश्ता करने के पश्चात् वह अपने बच्चे के साथ शिवरीनारायण कस्बे की ओर गई और एक दुकान के सामने जब वह खड़ी थी, तो दुकानदार ने उसे बुलाया, वहाँ जाने पर उसने दुकानदार से अपने बच्चे के लिए कपड़े दिखाने का अनुरोध किया, जिस पर दुकानदार ने उससे कहा कि अच्छी गुणवत्ता के कपड़े कमरे के अंदर हैं और जैसे ही वह उक्त कमरे में दाखिल हुई, दुकानदार ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, उसने शोर मचाया परंतु दरवाजा नहीं खोला गया और इसलिए वह वहीं बैठ कर रोती रही। रात्रि लगभग 10-11 बजे दुकानदार (यहाँ अपीलार्थी क्रमांक 1) ने अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 को बुलाया। अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 उसके पास आया, बच्चे को उससे अलग किया और तत्पश्चात् उसके तथा अपने कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाया। इसके पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 अर्थात् लाला ने भी उसके साथ उक्त कृत्य किया और तब वे दरवाजा बाहर से बंद करके वहाँ से चले गए। उसके बाद भी वह दरवाजा खटखटाती रही परंतु किसी ने नहीं खोला और कुछ समय पश्चात् दो अन्य व्यक्ति वहाँ आए जिन्हें उसने गाली दी जिसके परिणामस्वरूप वे वहाँ से भाग गए और तब यह अवसर पाकर वह दुकान से बाहर निकल आई। आरोप है कि अभियोक्त्री अपनी पेटीकोट घटनास्थल पर ही छोड़ गई थी और उसके पैसे भी ले लिए गए थे। अभियुक्त/अपीलार्थीगण के नाम लेते हुए अभियोक्त्री ने कहा है कि उसके साथ इन दो व्यक्तियों ने बलात्कार किया था। उसने कहा है कि दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को देखकर वह पहचान लेगी। इस सूचना के आधार पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 376/34 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निवारण) अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 3 (11) (12) (प्राथमिकी में गलत उल्लिखित प्रतीत होता है) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए गए। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 10.2.1993 को डॉ. (श्रीमती) राजकुमारी पालीवाल (अ.सा. - 5) द्वारा प्र.अ – 5 ए के माध्यम से किया गया | अन्वेषण पस्चात भारतीय दंड संहिता की धारा 342 , 376 / 34 तथा अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अभियोग पत्र दायर किया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भा.द.स. की धारा 342 ,376 (2) (छ) तथा 3 (2) (v) एवं अधिनियम की 3 (2) (xi) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया |

उदा. एक्स. पूर्व-पी-5ए. परीक्षण के पश्चात्, दिनांक 4.5.1993 को धारा 342, 376/34 IPC एवं अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अभियोग पत्र दाखिल किया गया। निचली अदालत ने धारा 342, 376 (2) (g) IPC तथा अधिनियम की धारा 3 (2) (v) एवं 3 (2) (xi) के अंतर्गत अभियोग आरोपित किए। अभयोकत्री का कथन धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 17.3.1993 को अभिलिखित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 12 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलार्थीगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अपने निर्दोष होने तथा मामले मे झूठे फसाये जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थीगण को विशेष अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से दोषमुक्त कर दिया, परंतु उन्हें इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया एवं दंडित किया।

5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियोक्त्री द्वारा एक अत्यधिक अनधिसंभाव्य कहानी पेश की गई है। उनका कहना है कि अभियोक्त्री एक स्वच्छंद जीवन शैली वाली महिला है और चिकित्सीय रिपोर्ट भी उसके कथन का समर्थन नहीं करती है। उनका कहना है कि अभियोक्त्री के स्वयं के अनुसार घटना पूर्ण अंधेरे में घटित हुई थी और इसलिए वह अभियुक्त/अपीलार्थीगण की पहचान नहीं कर सकी थी, इस प्रकार नामजद प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके अनुसार, कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई है और घटना के चार वर्ष पश्चात न्यायालय में की गई पहचान अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि जब्त की गई वस्तुएं रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजी गईं और इसलिए अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संबंध के बारे में कोई सबूत नहीं है। उनका कथन है कि महत्वपूर्ण साक्षी, जिनमें अभियोक्त्री का पति भी शामिल है, जो की अभयोजन के पक्ष को संपोषित करते परीक्षित नहीं किए गए हैं ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन की ओर से उस अभियोजिता (अभयोकत्री) की परीक्षण नहीं की गई है, जो अभियोजन के मामले की पुष्टि कर सकती थी। अपने इस तर्क के समर्थन में, वे उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों मे दिए गए निर्णयों खत्री हेमराज अमूलक बनाम गुजरात राज्य, (1972) 3 SCC 671 मे प्रतिवेदित ,दिलीप और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले मे ए आई आर 2001 एस सी 3049 मे प्रतिवेदित तथा कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य के मामले मे 2011 एस सी सी 130 का अवलंब लिया |

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी /राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

7. अभियोक्त्री (अ.सा.-10) ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थीओं को जानती थी। घटना के दिन वह अपने साथियों के साथ अपने गांव रोझनडीह से

शिवरीनारायण मेला देखने गई थी। शिवरीनारायण में मंदिर के पास, उसके साथी पीछे रह गए और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो अभियुक्त/ अपीलार्थी क्रमांक 1 ने उसे कपड़ा खरीदने के लिए बुलाया, जिसे उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने साथियों का इंतजार कर रही है। इस पर अभियुक्त/ ने उसे "बहन" कहकर अपीलार्थी संबोधित करते हुए कपड़ा खरीदने का आग्रह किया, क्योंकि वह उसे सस्ते दाम पर देगा, और फिर वह अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 की दुकान पर चली गई। जैसे ही वह अभियुक्त/ अपीलार्थी क्रमांक 1 की दुकान के अंदर दाखिल हुई, उसने अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर लिया, जिस पर वह दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगी। दुकान के अंदर वह अपने तीन वर्षीय बच्चे को गोद में लिए चिल्ला रही थी और रो रही थी। जब वह दुकान के अंदर रो रही थी, तो अभियुक्त/ अपीलार्थी क्रमांक 1 ने अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 विनोद को वहां आने के लिए कहा, क्योंकि उसे एक सुंदर लड़की मिल गई है। उसे एक कमरे में रोकने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 बाहर आया और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 के बुलाने पर, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 वहां अंदर आया। उसने बच्चे को उसकी माँ से पृथक कर दिया, उसके प्रतिरोध के बावजूद, उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाए । अभियुक्तों/अपीलार्थी ओं द्वारा किए गए गंभीर प्रहार और बलात्कार के कारण वह लगभग बेहोश हो गई थी। अपराध करने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी अभयोकत्री को वहीं छोड़कर घटनास्थल से चले गए। अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 के वहां से जाने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 वहां आया और उसने भी उसकी साया उतारकर उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाए और उसके बाद उसने तीसरे व्यक्ति शंकर को बुलाकर कहा कि जब हम उसके साथ लैंगिक संबंध बना चुके हैं तो अब उसे (शंकर को) जाना चाहिए। चूँकि उसका बच्चा जोर-जोर से रो रहा था, उसे ताकत मिली और जैसे ही शंकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, वह उसे धक्का देकर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बाहर भाग गई। दुकान से बाहर निकलने के बाद वह सोचने लगी कि इतनी बड़ी अत्याचार की घटना के बाद अब क्या किया जाए और वह चलने की स्थिति में भी नहीं थी। दुकान से बाहर निकलने के बाद उसके पास जो पैसे थे वे गायब थे और संभवतः अभियुक्तों/अपीलार्थी ओं ने वे छीन लिए थे। उसने बताया है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 लाला ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया था, उस समय शाम का समय था लेकिन सूर्य अस्त नहीं हुआ था। जब वह दुकान से बाहर निकली तो रात के 12 बज रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद, वह एक पेड़ के पास रुक गई ताकि रोशनी होने पर वह अपने साथियों को ढूंढ सके। सुबह जब वह एक पेड़ के नीचे रो रही थी, तो गश्ती ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस आरक्षक उससे मिला और उससे रोने का कारण पूछा, जिस पर उसने उसे बताया कि एक दुकानदार द्वारा बुलाए जाने के बाद तीन व्यक्तियों ने उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए। उसने यह भी बताया कि उसके पास जो पैसे थे, वे भी उनके द्वारा ले लिए गए और अब वह घर कैसे जाए। उसने उस आरक्षक को यह भी बताया कि वह थाना नहीं जानती है और उसके साथ बलात्कार करने वाले व्यक्तियों ने उसे नाखूनों से खरोंचा है। इस पर, पुलिस आरक्षक ने उसे उसके साथ थाने चलने को कहा और तदनुसार वह उसके साथ थाने गई, जहां एक निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दर्ज किया गया, जिस पर उसने अपना अंगूठा लगाया। प्रतिवेदन दर्ज कराने के पश्चात, उसे जांजगीर के अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण हेतु ले जाया गया। चिकित्सा परीक्षण के बाद, वह एक पुलिस अधिकारी के साथ शिवरीनारायण थाने आई और तत्पश्चात थाना प्रभारी द्वारा फोन पर सूचित किए जाने पर, पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) भी वहां आए और उन्होंने उसे उसके गांव भेजने का निर्देश दिया। उस समय पहनी गई साड़ी को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया, जबकि पेटीकोट घटनास्थल पर ही छोड़ दिया गया। थाने में उसने पुलिस कर्मियों से अनुरोध किया था कि उसे उसके ससुराल के बजाय उसके मायके भेजा जाए और तदनुसार उसे गांव धाबादिह भेज दिया गया, जहां उसने चूहा मारने की दवा (जहर) खा लिया, क्योंकि वह जीवित नहीं रहना चाहती थी। कंडिका क्रमांक 10 में उसने कहा है कि उसके दो नाम हैं, अर्थात् मीना कुमारी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और सतरुपा। घटना के पश्चात उसे उसके माता-पिता और ससुराल वालों दोनों ने ही घर से निकाल दिया था। उसने कहा है कि वह सतनामी जाति से संबंध रखती है और घटना के समय उसे अभियुक्त/अपीलार्थी की जाति के बारे में पता नहीं था, बाद में उसे पता चला कि वह बनिया जाति का था | प्रति परिक्षण में, इस साक्षी ने कहा है कि प्रतिवेदन दर्ज कराते समय उसने पुलिस को अपना नाम सतरूपा बताया था, न कि मीना। उसने स्वीकार किया है कि उसका असली नाम मीना कुमारी है और उसके पति का असली नाम महादेव है। उसका मायका गांव धाबादिह और ससुराल गांव रोझनडीह है। डांगर गांव में न तो उसका मायका है और न ही ससुराल। वह डांगर गांव के शिवकुमार को जानती थी जो उसका देवर (पति का छोटा भाई) लगता था। उसके अनुसार, डर के कारण उसने पुलिस को अपने गांव का नाम डांगर बताया था। इस साक्षी के अनुसार, उसके पति का असली नाम शिवकुमार है। फिर उसने कहा है कि उसका पति दो नामों से जाना जाता है, अर्थात् महादेव और शिवकुमार। इस साक्षी के अनुसार, इससे पहले उसने इस बात की गवाही कि उसके पति के दो नाम थे और वह पहली बार न्यायालय में यह खुलासा कर रही थी। उसने कहा है कि ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों द्वारा पीटे जाने के डर से, उसने अपने पति का नाम शिवकुमार बताया था, जबकि उसका असली नाम महादेव है। उसके अनुसार, वह अपने मायके में मीना के नाम से जानी जाती है और ससुराल में सतरूपा के नाम से। उसका कथन दो बार दर्ज किया गया - रिपोर्ट दर्ज करते समय और फिर अस्पताल में। उसने स्वीकार किया है कि उसके पति का नाम शिवकुमार नहीं है। फिर वह कहती है कि महादेव को शिवकुमार के नाम से भी जाना जाता है। उसने यह बात अस्वीकृत की है कि समाज के डर से उसने पुलिस को अपना और अपने पति का गलत नाम बताया था। इसके बाद उसने कहा है कि अपने परिवार के सदस्यों द्वारा पीटे जाने के डर से, उसने अपने पति का गलत नाम बताया था। उसने स्वीकार किया है कि चूंकि उसने बुरा काम किया था, इसलिए समाज के डर से उसने अपना और अपने पति का नाम गलत बताया। फिर उसने कहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया बल्कि लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसलिए उसने अपना और अपने पति का नाम गलत बताया है। उसने अभिकथन किया कि उसकी जाति के लोगों ने उसका बहिष्कार नहीं किया था, अपितु उसके माता-पिता और पति ने किया था । उसने कहा है कि यह कहना सही है कि यदि कोई समाज द्वारा दोषी पाया जाता है, तो उसका वहाँ से बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपना कथन दर्ज कराते समय उसने यह नहीं बताया था कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और वह समाज में फिर से शामिल होना चाहती थी। समाज से बहिष्कृत किए जाने के संबंध में धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए अपने कथन पर पूछे जाने पर, उसने कहा है कि उसने ऐसा कोई कथन नहीं दिया था और विद्वान न्यायाधीश द्वारा उक्त भाग को बी से बी तक चिह्नित किया गया है, जहाँ उसने समाज में फिर से शामिल किए जाने के लिए 8 व्यक्तियों को भोजन कराने का खर्च और रोजगार की भी मांग की थी। उसके अनुसार, यद्यपि घटना के बाद उसे समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी प्रथा वहाँ बहुत प्रचलित है और ऐसे मामले में जिस व्यक्ति को बहिष्कृत किया जाता है, उसे समाज को भोज कराना होता है। कंडिका 17 में, इस साक्षी ने कहा है कि न्यायालय में उपस्थित कमला प्रसाद खूँटे उसके संबंधी हैं और उसके भाई हैं। उसने यह बात से इनकार किया है कि उक्त कमला प्रसाद खूँटे ने उसे यह निर्देश देकर तैयार किया था कि उसे किस रीति में कथन देना है। जब उसे धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज उसके कथन प्र.डी .-1 से सामना कराया गया, तो उसने कहा कि कथन दर्ज कराते समय उसने अपनी जाति बताई थी, लेकिन यदि वह वहाँ नहीं लिखी है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। उसने स्पष्ट किया है कि घटना वाले दिन वह गाँव रोझंडी से शिवनारायण मेला देखने गई थी, न कि गाँव डांगर से। वह घटना से 4-5 दिन पहले अपने देवर कपिल के घर गाँव डांगर गई थी। उसने स्पष्ट किया है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ गाँव रोझना डीह में रहती थी, न कि डांगर में। उसके अनुसार, उसने रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि वह अपने पति के साथ गाँव डांगर में रह रही थी। फिर वह कहती है कि अपने काम के सिलसिले में उसका पति गाँव डांगर गया था और इसलिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वह भी घटना से 4-5 दिन पहले वहाँ गई थी। कंडिका 21 में उसने कहा है कि घटना वाले दिन, त्रिवेणी बाई, राजकुमारी, ताराबाई और दिलचंद भी उसके साथ शिवनारायण मेले में थे और ये सभी उसकी उम्र के हैं। उसके अनुसार, ये सभी व्यक्ति उसके साथ दुकान तक नहीं गए और रास्ते में ही बिखर गए। आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 1 की दुकान के पास बजरंगबली का मंदिर है और उस दुकान में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध थे। उसने कहा है कि घटना उस दुकान में हुई थी जो बजरंगबली मंदिर के पास थी। शिवनारायण पहुँचने के आधे घंटे बाद, वह आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 1 की कपड़े की दुकान के पास गई, जहाँ उसने उसे अंदर बुलाया और वह रात्रि 12 बजे तक वहीं रही। कथित तौर पर वह रात्रि लगभग 12 बजे दुकान से बाहर निकली और घटना उससे आधा घंटा पूर्व घटित हुई थी। तत्पश्चात् कंडिका 22 में उसने कथन किया है कि दुष्कर्म की घटना रात्रि लगभग 11 बजे घटित हुई थी और इस दौरान उसने कुछ भी नहीं खाया था तथा उसका बच्चा स्तनपान कर रहा था। दुकान में नजरबंद रहने के दौरान उसने शोर मचाया और दरवाजा भी पीटा, जो लगभग एक घंटे तक जारी रहा, रात्रि 1-1.30 बजे के आसपास; और ऐसा करते समय उसकी चूड़ियाँ टूट गईं और उसके हाथ से खून बहने लगा। प्रश्नगत दुकान बाजार के मध्य में स्थित बताई जाती है। चूंकि उसे एक कमरे में रखा गया था, इसलिए उसे प्रश्नगत दुकान पर आने वाले ग्राहकों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसने कहा है कि यद्यपि घटना की तारीख को शिवरायनारायण मेले में भारी भीड़ थी, फिर भी चिल्लाने के बावजूद कोई भी उसे बचाने नहीं आया। उसने कहा है कि जिस कमरे में दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, वह पूर्णतः अंधेरा था, इसलिए वह उस समय अपराधियों की पहचान नहीं कर सकी, परंतु बाद में ऐसा कर सकी। उसके अनुसार, रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस थाने से लौटने पर उसे आरोपी व्यक्तियों के नाम पता चले। रात्रि लगभग 12 बजे दुकान से बाहर निकलने के बाद, वह एक पेड़ के नीचे सो गई और फिर सुबह लगभग 6-7 बजे वहां एक सिपाही आया, जिसके साथ वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई। थाने में इंस्पेक्टर ने प्रश्नगत दुकान

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिखाने को कहा ताकि वह उन व्यक्तियों के बारे में जान सके जिन्होंने दुष्कर्म का अपराध किया था, और तदनुसार वह इंस्पेक्टर के साथ उक्त दुकान पर गई। घटना के समय, उसके कंधे पर नाखूनों से खरोंच लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप उससे खून बह रहा था, परंतु उसने यह बात न तो डॉक्टर को चिकित्सकीय परीक्षण के समय बताई, न ही रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस को, और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका कथन दर्ज करते समय मजिस्ट्रेट को बताई। उसने यह कहा गया है कि उसने पुलिस वालों से कहा था कि वे उसे उसके ससुराल के बजाय मायके छोड़ दें, केवल इसलिए क्योंकि ससुराल में उसकी बदनामी होती। विरोध करते समय, उसने आरोपी व्यक्तियों को नाखूनों से भी खरोंचा था, लेकिन उसे उनके चेहरे पर ऐसे किसी निशान के बारे में पता नहीं था क्योंकि अंधेरा था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

डॉ. (श्रीमती) राजकुमारी पालीवाल (अ.सा.-5) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियोकत्री का चिकित्सीय परीक्षण किया और रिपोर्ट ई. पी-5ए प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि उन्हें अभयोकत्री के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं मिली, वह संभोग करने की आदी थी और अंतिम संभोग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी। श्याम बाई (अ.सा.-1) अभयोकत्री की साड़ी को जब्त करने की साक्षी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। दव्वा (अ.सा.-2) खाली शराब की बोतल और गिलास की जब्ती का साक्षी है, जो ई. पी-2 के तहत की गई थी, उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। दिलहरन दास (अ.सा.-3) - साड़ी की जब्ती का एक अन्य साक्षी, उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। डॉ. आर.के. पांडे (अ.सा.-4) वह साक्षी हैं जिन्होंने आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 1 लाला की चिकित्सीय परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट ई. पी-3 दी जिसमें कहा गया कि वह संभोग करने में सक्षम था। डॉ. के.के. शुक्ला (अ.सा.-9) वह साक्षी हैं जिन्होंने आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 2 विनोद का चिकित्सीय परीक्षण किया और

अपनी रिपोर्ट ई. पी-10 दी जिसमें कहा गया कि वह संभोग करने में सक्षम था। रामलाल (अ.सा.-6) पटवारी हैं जिन्होंने स्थल का नक्शा ई. पी-7 तैयार किया। उन्होंने कहा है कि घटना स्थल कई दुकानों जैसे वीडियो दुकान, किताबों के ठेले आदि से घिरा हुआ था। सुशील पहारे (अ.सा.-7) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। गोरेलाल (अ.सा.-8) ई. पी-2 और पी-9 के तहत की गई वस्तुओं की जब्ती का साक्षी है, उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। राम लखन सिंह (अभियोजन साक्षी-11) वह साक्षी है जो अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक -2 विनोद को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले गया और उसके अंतर्वस्त्र को जब्त किया। बी.एस. निषाद (अभियोजन साक्षी-12) अन्वेषण अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है। गुलाम वहीद खान (बचाव साक्षी-1) ने कहा है कि उनकी दुकान अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक -1 की दुकान से सटी हुई है, जो गद्दे और रजाई बेचता था और कुछ नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोकत्री के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि उसने न्यायालय में कथन देते समय बहुत असंगतियां दर्शाई हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने अपना नाम सतरूपा और अपने पति का नाम शिवकुमार बताया था, जबकि न्यायालय में दिए गए कथन में उसने कहा कि उसका मुख्य नाम मीना कुमारी है, लेकिन उसे सतरूपा भी बुलाया जाता था और उसके पति का नाम शिवकुमार और महादेव है। उसने आगे कहा कि अपना कथन दर्ज कराने से पहले उसने किसी को यह नहीं बताया था कि उसके पति के दो नाम हैं यानी शिवकुमार और महादेव और पहली बार उसने यह बात न्यायालय में बताई। इसके अलावा, प्रथम सुचना रिपोर्ट के अनुसार वह दांगर गांव की निवासी थी, जहां वह अपने पति शिवकुमार के साथ रह रही थी, जबकि न्यायालय में दिए गए कथन में उसने कहा है कि उसका मायका धाबाडीह गांव में है और ससुराल रोझांडीह गांव में है और

उसका डांगर गांव से कोई संबंध नहीं है। इस साक्षी के अनुसार, उसके देवर का नाम शिवकुमार है जो दांगर गांव का निवासी है, जबकि बाद में उसने कहा कि उसके पति का नाम शिवकुमार है, और उसके देवर का नाम कपिल है। प्रथम सुचना रिपोर्ट में अभयोकत्री ने कहा है कि बस से उतरने के बाद जब वह एक दुकान के सामने खड़ी थी, तो दुकानदार ने उसे बुलाया और जब वह दुकान के अंदर गई और उससे अपने बच्चे के लिए कपड़े दिखाने को कहा, तो उसने उसे दूसरे कमरे में आने को कहा, जहां अच्छी गुणवत्ता के कपड़े थे और जब वह उक्त कमरे में दाखिल हुई, तो दुकानदार ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि अदालत में दिए गए अपने कथन में उसने कहा है कि जब उसके सहकर्मी उससे अलग हो गए, तो उसने उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसी समय अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 ने उसे कपड़े खरीदने के लिए बुलाया और जब उसने कहा कि वह कपड़े नहीं खरीदेगी और अपने सहकर्मियों की प्रतीक्षा कर रही है, तो उसने उसे बहन कहकर बुलाया और कहा कि वह उसे कपड़े सस्ते दाम पर देगा। अदालत में दिए गए उसके कथन के अनुसार, उसके साथ अपीलार्थियों द्वारा दुकान में ही बलात्कार किया गया था और उसने कहीं भी यह नहीं बताया कि दुकान से जुड़ा एक अलग कमरा था, जहाँ अपीलार्थी क्रमांक 1 उसे ले गया और दरवाज़ा बंद करने के बाद पहले अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 और फिर अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। प्रथम सुचना रिपोर्ट में अभियोजक ने यह नहीं बताया है कि उसे अभियुक्त विनोद द्वारा बुरी तरह पीटा गया था, जबकि न्यायालय में दिए गए कथन में उसने कहा है कि अभियुक्त विनोद ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वह लगभग बेहोश हो गई। इसके अलावा, प्रथम सुचना रिपोर्ट में उसने यह नहीं बताया है कि वह रात 12 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 की दुकान से बाहर निकली, एक पेड़ के नीचे बैठी रही और फिर सुबह उसकी मुलाकात एक आरक्षक से हुई, जबकि अदालत में दिए गए कथन में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने कहा है कि उसने पूरी रात पेड़ के नीचे बिताई, अगली सुबह एक आरक्षक उसके पास आया और उसे थाने ले गया जहाँ रिपोर्ट दर्ज की गई।

प्रथम सुचना रिपोर्ट वर्तमान अपीलार्थियों और दो अन्य व्यक्तियों के नाम लेकर दर्ज कराई गई है, जबकि अभियोजक के कथन के अनुसार जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो वह उनके नामों से अवगत नहीं थी और यह संबंधित थाने का पुलिस आरक्षक ही था जिसने उसे अपीलार्थी/अभियुक्त क्रमांक 1 की दुकान पर चलने के लिए कहा और तभी उसे अभियुक्तों के नामों के बारे में पता चल सका। इस आशय का अभियोकत्री का कथन परीक्षण अधिकारी (अ.सा.-12) द्वारा पूरी तरह से झुठला दिया गया है, जिसने यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिपोर्ट दर्ज कराते समय अभयोकत्री अकेले ही उनके पास आई थी। हालाँकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जब अभयोकत्री पहली बार रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, तो वह उन व्यक्तियों के नामों से अनभिज्ञ थी जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। इस साक्षी (अन्वेषण अधिकारी) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उन्होंने अभियोकत्री से पूछा कि उसने उसी रात रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, जब उसके साथ रात 10-11 बजे बलात्कार हुआ था, तो उसने उन्हें बताया कि चूँकि वह रात में एक पेड़ के नीचे सो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तुरंत दर्ज नहीं कराई जा सकी। अभयोकत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दुकान के अंदर अंधेरा था और इसलिए वह आरोपी व्यक्तियों को देख या पहचान नहीं सकी, जबकि रिपोर्ट (प्र .पी.-11) दर्ज कराते समय उसने आरोपी व्यक्तियों के नाम लिए हैं। निर्विवाद रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा पहचान परेड आयोजित नहीं की गई है, लेकिन अन्वेषण परीक्षण अधिकारी के अनुसार, रिपोर्ट आरोपियों के नाम लेकर दर्ज की गई थी, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला स्वयं संदिग्ध हो जाता है क्योंकि घटना अंधेरे में हुई थी, आरोपी व्यक्ति अभयोकत्री को पहले से ज्ञात नहीं थे, फिर भी एक नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा, अभयोकत्री के कथन के अनुसार, उसे आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 2 विनोद द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह लगभग बेहोश हो गई और पिटाई तथा जोर-जबरदस्ती दरवाजा पीटने के कारण उसके शरीर पर कई चोटें आईं और खून बह रहा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट इस आशय के अभयोकत्री के कथन का समर्थन नहीं करती है। मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि घटना शिवनारायण मेले की पूर्व संध्या पर हुई थी, जहाँ अभयोकत्री के अनुसार स्वयं गाँव के कई लोग एकत्र हुए थे, प्रश्नगत दुकान बाजार के बीचोबीच स्थित है, अभयोकत्री रात 12 बजे तक उस दुकान का दरवाजा पीटती रही जहाँ उसे रखा गया था, रात में चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। अभयोकत्री स्वयं यह कहा गया है कि वादग्रस्त दुकान बाजार में स्थित थी और पटवारी (अ.सा.-6) के कथन के अनुसार, वह कई अन्य दुकानों से घिरी हुई थी। यहाँ भी, अभयोकत्री का कथन संदिग्ध हो जाता है। अभयोकत्री के कथन के अनुसार, वह त्रिवेणी, राजकुमारी, तारा और दिलचंद सहित कई लोगों के साथ मेले में आई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उनमें से किसी को भी परीक्षण के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है; यहाँ तक कि अभयोकत्री के पति और उस आरक्षक को भी अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कथित तौर पर अगली सुबह अभयोकत्री से पेड़ के पास मिला था और उसे थाने ले गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने कथन में, अभयोकत्री ने कहा है कि घटना आरोपी की दुकान में हुई थी, जबकि प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना दुकान से सटे एक कमरे में हुई थी, और इस प्रकार धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए उसके कथन और न्यायालय में उसकी परीक्षा के समय दिए गए कथन संगत नहीं हैं। इसी प्रकार, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अपने कथन में उसने कहा है कि आरोपी/अपीलार्थी की दुकान से बाहर निकलने के बाद और लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद, वह एक पेड़ के नीचे सो गई और अगली सुबह थाने के बारे में पूछताछ करने के बाद वह लगभग 10 बजे वहाँ पहुँची और रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि उसके न्यायालयीन कथन के अनुसार, सुबह एक आरक्षक उसे थाने ले गया, जहाँ

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से इंस्पेक्टर उसे आरोपी/अपीलार्थी क्रमांक 1 लाला की दुकान पर ले गए और फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कथन में, अभयोकत्री ने कहा है कि चूँकि घटना के बाद उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और समाज में फिर से शामिल होने के लिए, उसे 8 व्यक्तियों को भोजन कराना आवश्यक था, इसलिए उस भोज में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति और उसे नौकरी दिए जाने का निर्देश दिया जाए।

9. यह सत्य है कि बलात्कार के मामले में अभियोक्त्री का एकल साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, यदि वह पूर्णतः विश्वसनीय, निष्कलंक, उत्कृष्ट कोटि का हो, बिना किसी कमी के हो और इस प्रकार न्यायालय का पूर्ण विश्वास उत्पन्न करता हो। दुर्भाग्यवश, प्रस्तुत मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। अभियोक्त्री के साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कई विसंगतियाँ, विरोधाभास, अतिशयोक्तियाँ या अलंकरण पाए जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह निश्चित रूप से सत्य नहीं बोल रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोक्त्री के साथी त्रिवेणी, राजकुमारी, तारा और दिलचंद, जो शिवरीनारायण मेले में उसके साथ थे, अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किए गए हैं और महत्वपूर्ण साक्षी होने के नाते, उनका परीक्षण नहीं कराए जाने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि उन्हें परीक्षित कराया गया होता, तो उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया होता। यहां तक कि जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया ताकि अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संबंध को सिद्ध किया जा सके। इस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह से विफल रहा है, और इसका लाभ, निःसंदेह, अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दिया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि वे पहले से ही जमानत पर हैं, उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए दिए जाते हैं।

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ......शारदा कुंभकार **............**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur